न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी डा0 मंजु आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 218/19 वाद

श्री पुरा पिता धूला डांगी मृतक के बजाय

1/1 श्री नारायणलाल पिता पुरा डांगी निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

1/2 श्रीमती पुष्पा पुत्री पुरा डांगी निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

1/3 श्री हिरालाल पिता पुरा डांगी निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

1/4 श्री रोशनलाल पिता पुरा डांगी निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

1/5 श्रीमती भूरीबाई बेवा पुरा डांगी निवासी एकलिंगपुरा, उदयपुर तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

वादीगण

बनाम

1. श्री भॅवरलाल पिता कालुलाल अग्रवाल, निवासी सुरजपोल उदयपुर तहसील गिर्वा
2. श्री किशनलाल पिता जोधराज अग्रवाल, निवासी सुरजपोल उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर मृतक के बजाय

2/1 श्री ललित पिता मोहनलाल अग्रवाल, निवासी सुरजपोल उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः— श्री आलोक जैन, अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक : 03.12.2019

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है वादी पुरा पिता धुला डांगी निवासी एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा द्वारा उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय उपजिला कलक्टर, गिर्वा में दिनांक 21.10.10 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 23.09.19 को प्राप्त हुआ। जो प्रतिवादी के जवाब हेतु विचाराधीन हैं। पत्रावली अवलोकन अनुसार प्रतिवादी को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किये गये। परन्तु प्रतिवादी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ नाही कोई जवाब पेश किया। चार वर्ष से अधिक समय हो जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं होने से न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का जवाब अवसर दिनांक 22.10.19 को बंद किया गया। जवाब बन्द होने से प्रकरण में तनकियात कायमी नहीं की गई। सीधे साक्ष्य वादी के लिये अवसर दिये गये। परन्तु वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से न्यायालय ने 19.11.19 को साक्ष्य वादी का अवसर भी बन्द कर दिया। प्रकरण बहस के लिये नियत किया गया एवं प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

अमल में लाई जाकर Ex Party घोषित किये गये। परन्तु दिनांक 28.11.19 को वादी की ओर से नारायणलाल, हिरालाल पिता पुरा डांगी के साक्ष्य शपथ पत्र वादी की ओर से प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र वास्ते शपथ पत्र साक्ष्य रिकॉर्ड पर लिवाय जाने प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। परन्तु प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एवं एकतरफा कार्यवाही होकर Ex Party घोषित हो जाने से जिरह नहीं की जा सकी। प्रकरण मूल वाद पर बहस हेतु 03.12.19 को नियत किया गया। दिनांक 03.12.19 को वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

वादी ने बहस में मुल वाद के तथ्य ही दोहराये हैं। वादी ने बहस में यही दर्शाया है कि जमीन प्रतिवादीगणो की थी। जो उनके पिता को ट्रांसफर कर दी। जिसके दस्तावेज मिल नहीं रहे हैं। वादग्रस्त भूमि पर उनके पिता का 100 वर्ष से कब्जा हैं। वाद की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि मौजा एकलिंगपुरा तहसील गिर्वा की साबिक आराजी संख्या 751 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा व आराजी संख्या 848 रकबा पौन बिघा कुल किता 2 रकबा 2 बिघा 1 बिस्वा जिसके हाल आराजी संख्या 2238 रकबा 0.2700 हैक्टर व आराजी संख्या 2214 रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि है, का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित न्यायिक दृष्टांत आर आर टी 2011 (2) पेज 721 रेवेन्यू बोर्ड फुल बेंच रेफरेन्स टिए नम्बर 2964 जयपुर 1997 निर्णय 03.06. 11 का भी गहनता से अध्ययन किया जिसके अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं हैं।

बहस एवं उक्त न्यायिक दृष्टांत पर मनन किया गया। न्यायालय बोर्ड के निर्णय से पूर्णतया सहमत हैं। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारीज किया जाता हैं।

निर्णय सरेईजलास सुनाया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

डा0 मंजु (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा– उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.10 15:15:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: